भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 27
उत्तर देने की तारीख 22 जुलाई, 2024
सोमवार, 31 आषाढ़, 1946 (शक)

कौशल विकास और उद्यमशीलता संबंधी नई राष्ट्रीय नीति

27. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में संवर्धित कौशल प्रशिक्षण को प्रभावित करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता संबंधी राष्ट्रीय नीति, 2015 के स्थान पर कौशल विकास और उद्यमशीलता संबंधी नई नीति लाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने की दृष्टि से किसी नई नीति का प्रारूप तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त नीति तैयार करने के लिए किसी निजी एजेंसी को नियुक्त किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक कुल कितने अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित अथवा अभिविन्यास किया गया है; और

(ङ) क्या सरकार ने नीति समीक्षा के अनुरूप बनाने और कौशल विकास संबंधी प्रगति की प्रतिमाह निगरानी करने के लिए परियोजना संचालन समिति का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)
(क) से (ग) जी हां। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने कौशल विकास एवं उद्यमशीलता के लिए नई नीति तैयार करने का काम शुरू किया है। इस उद्देश्य के लिए प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (बीसीजी) को नियुक्त किया गया है।

(घ) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत, प्रारंभ से जून, 2024 तक कुल 1.48 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है।

(ङ) मंत्रालय की अपेक्षाओं के अनुरूप नीति समीक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ाने तथा नियमित आधार पर प्रगति का अनुवीक्षण करने के लिए एमएसडीई के सचिव की अध्यक्षता में एक

परियोजना संचालन समिति गठित की गई है। समिति के सदस्यों में एमएसडीई के विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिकारी तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के प्रतिनिधि शामिल हैं।

*****